



131

समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/25-27/2014/2028 निगरानी प्रकरण क.

मुकेश उदय आ० श्री कैलाश नारायण

आयु वर्ष, निवासी-म.नं. 222, चौकसे नगर,

डी.आई.जी. बंगला चौराहा, बैरसिया रोड,

भोपाल म.प्र.

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

(1) म.प्र. शासन,

(2) ~~समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर~~ ~~मुकेश उदय आ० श्री कैलाश नारायण~~
जिला भोपाल म.प्र. ~~टी.ओ. गोधाव~~

अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय पीठासीन अधिकारी (श्री सुधाकर तिवारी) द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/ए-68/2016-17 पक्षकार शासन विरुद्ध मुकेश उदय में पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:-

24

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. PBM/मि/ओपील/अपील/2028

तहसील मुकेश 344 विरुद्ध अमन
जिला ग्वालियर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.
अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.
वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-2017	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री <u>अमन रघुवंशी</u> के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अर्थात् जाह्न है/ नहीं है/ मुद्रक शुल्क पूर्ण है/..... र. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकर्ता आवेदक की ओर से श्री एम. एल. रघुवंशी अभिभावक के उपस्थित होकर प्रकाश नदी चरणों का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है।</p>	30-8-17
	<p>प्रकाश नदी चरणों के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>अध्यक्ष</p>	<p>19 30/8</p>